संख्या -: 2524/70-6-2006- 2(112)2006

प्रेषक,

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई 2006

विषयः - नवीन महाविधालय/पाठ्यक्रम की स्थापना/संचालन हेतु क्लीयरेंस प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1869/सम्बद्धता/2006 दिनांक 20-6-2006 के सन्दर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित मूलचन्द महाविद्यालय, होलीपुर, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, एवं संस्कृत -

विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है

(1) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी ।

(2) उक्त पाठ्यक्रम श्री कुलाधिपति/श्री राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा । विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी ।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर लेगी।

(4) उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही

Principal
Moolchand Mahavidyalya
Holipur-Ghazipur

उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार की होगी ।

(5) उक्त ठ्यक्रम के बाबत कि लायबिलिटी ने ाज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा ।

(6) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

(7) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ग्राम होलीपुर परगना व तहसील सदरजिला गाजीपुर की आरा०नं०-168,184,211,170,154,209,181,177 में उपलब्ध कुल भूमि रकबा 2.071 हेक्टेयर पर ही किया जायेगा। अन्य भूखण्डया स्थान पर पाठ्यक्रम के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वत: निरस्त हो जायेगी।

(8) सम्बद्धता की कार्यवाही के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर ली गयी है एवं एक स्थान पर अवस्थित है।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

संख्या- 2524 / 70-6-2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्धक, प्रस्तावित मूलचन्द महाविद्यालय, होलीपुर, गाजीपुर।
2- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव